27

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 09 / 2025 दायरा दिनांक 20.05.2025

पीठासीन अधिकारी :— श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. पन्ना पुत्र भंवरलाल जाति किराड निवासी नारानखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
2. राधेश्याम पुत्र शिवलाल जाति किराड निवासी नारानखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
3. किरणबाई पुत्री शिवलाल जाति किराड निवासी नारानखेडा हाल निवास पत्नि प्रकाश महोदरा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
4. कानी बाई पत्नि शिवलाल जाति किराड निवासी नारानखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
5. रामो पुत्री भंवरलाल जाति किराड निवासी नारानखेडा हाल निवास पत्नि रामचरण बैंटा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)

— अपीलान्टगण

—: बनाम :—

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)

— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :—

श्री धीरेन्द्र माली :— वकील, अपीलान्टगण।
पैरोकार सरकार :— रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 202 दिनांक 15.06.1992 ग्राम नारानखेडा तहसील शाहबाद

निर्णय **दिनांक 26.06.2025**

अपीलान्टगण द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या **202 दिनांक 15.06.1992 ग्राम नारानखेडा** को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि :—यह कि वाकेग्राम नारानखेडा पटवार हल्का खुशियारा तहसील शाहबाद के खाता संख्या नई 231 पुरानी 220 में आराजी खसरा नम्बर 236 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नं. 238 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नं. 242 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नं. 309 रकबा 13.01 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 14.07 स्थित है। यह कि उक्त आराजी खाता संख्या 231 की आराजी अपीलान्ट के पिता भंवरलाल पुत्र प्राणसुख सा. दे हके नाम खाते दर्ज रही है। अपीलान्ट, भंवरलाल पुत्र प्राणसुख के वैधानिक वारिस उत्तराधिकारी है। जिनके नाम प्रश्नगत फौती

नामान्तरकरण के जरिये खातेदार भंवरलाल की विरासत दर्ज की गई है, जो सही है। अपीलान्ट क.स. 5 का घरेलु बोलता नाम अजुददी है तथा रिकॉर्ड नाम रामो है, जो अपीलान्ट के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक की डायरी, राशन कार्ड में दर्ज है। वक्त तस्दीक प्रश्नगत फौती नामान्तरकरण में अपीलान्ट का घरेलु बोलता नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट क.स. 5 रामो अथवा रामों उर्फ अजुददी दर्ज किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट वक्त तस्दीक प्रश्नगत फौती नातान्तरकरण अपीलान्ट मौजूद थे, जिन्हे प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किये के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई और ना ही कोई पूछताछ की गई और अपने स्तर पर ही अपीलान्ट का घरेलु नाम दर्ज कर प्रश्नगत नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलान्ट के पिता भंवरलाल के नाम से ग्राम समरानिया पटवार हल्का समरानिया मे खाता संख्या नया 400 ख.न. 973, 989 की आराजी में नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष मे नामान्तरकरण संख्या से दर्ज शिवलाल, पन्नालाल पुत्र व रामो पुत्री भंवरलाल के नाम दर्ज हो चुका है। यह कि दिनांक 17.04.2025 को के.सी.सी. बनवाने हेतू हल्का पटवारी से नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर सर्व प्रथम प्रश्नगत नामान्तरकरण का ज्ञान अपीलान्ट को हुआ, ज्यों ही ज्ञान हुआ दिनांक 17.04.2025 को हल्का पटवारी से प्रश्नगत नामान्तरकरण की अधूरी तथा अस्पष्ट नकल दे दी गई। उसके बाद दिनांक 09.05.2025 को अपीलान्ट ने प्रश्नगत नामान्तरकरण की पुनः स्पष्ट तथा सम्पूर्ण नकल प्राप्त की है। इस प्रकार यह अपील अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश है। डिले कंडोन हेतू प्रार्थना पत्र दफा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम साथ सलग्न है।

विद्वान वकील अपीलान्टगण की एकपक्षिय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्टगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्टक्रम 5 का नाम रामो के स्थान पर अजुददी दर्ज किया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टक्रम 5 का नाम अजुददी गलत दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्ट क्रम 5 का सही नाम रामो है।

हमने विद्वान वकील अपीलान्टगण के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील ने कहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्टक्रम 5 का नाम अजुददी गलत दर्ज किया गया है जबकि अपीलान्टक्रम 5 का सही नाम रामो है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज में अपीलान्ट क्रम 5 का नाम रामो दर्ज होना पाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर ग्राम नारानखेडा का नामान्तरकरण संख्या 202 दिनांक 15.06.1992 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्टण के नाम की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)